परिशिष्ट–अ

विदिशा जिलें में जनपद पंचायत कार्यालय कुरवाई, ग्यारसपुर द्वारा माननीय अध्यक्ष ज.पं. हेतु स्कार्पियों ए.सी. वाहन किराये पर लिया गया है। अन्य जनपद पंचायत विदिशा, बासोदा, नटेरन, सिरोज, लटेरी द्वारा कोई ए.सी. वाहन एवं एस.यू.व्ही. वाहन किराये पर नही लिये गये।

रायसेन जिलें की जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और अधिकारियों के लिये ए.सी. कार अथवा एस.यू.व्ही. आदि वाहन किराये पर नही लिया गया।

संयुक्त संचालक (प्रशा.)
वास्ते आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय,म.प्र.

परिशिष्ट–ब

विदिशा जिलें में निम्नानुसार कार्यालय जनपद पंचायत द्वारा अन्य वाहन किराये पर लगाये गये है :–

1. जनपद पंचायत विदिशा द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय हेतु बोलेरो वाहन नान ए. सी. शासन द्वारा स्वीकृत पद राशि रूपये 18,000/– (रूपये अठारह हजार मात्र) प्रतिमाह पर मेसर्स संध्या ट्रेवल्र्स विदिशा द्वारा समय–समय पर अवाश्यकानुसार लिया गया है।

2. जनपद पंचायत बासोदा द्वारा दैनिक दर राशि रूपये 600/– (रूपये छः सौ मात्र) प्रतिदिन के मान से समय समय पर आवश्यकतानुसार प्रायवेट रजिस्ट्रेशन के वाहन किराये पर लिये गये।

3. जनपद पंचायत नटेरन द्वारा कार्यालय उपयोग हेतु प्रायवेट रजिस्ट्रेशन का बोलेरो वाहन राशि रूपये 13000/– (रूपये तेरह हजार मात्र) प्रतिमाह एवं माननीय अध्यक्ष महोदय हेतु बोलेरो वाहन राशि रूपये 14500/– (रूपये चौदह हजार पांच सौ मात्र) मासिक किराये पर ली गई। उपरोक्त वाहन श्री अनिल रघुवंशी एवं श्री मांगीलाल मेहर के नाम पर है।

4. जनपद पंचायत कुरवाई द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय हेतु स्कार्पियो ए.सी. एम. पी. 40 सी.पी. 6999 एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी हेतु बोलेरो वाहन कमांक एम.पी.40 सीए 3461 राशि रूपरे 17900/– (रूपये सतरह हजार नौ सौ) प्रतिमाह पर किराये पर प्रायवेट रजिस्ट्रेशन अंतर्गत वाहन मालिक श्री विवेक गुप्ता एवं श्री गोविन्द्र सिंह राजपूत से ली गई है।

5. जनपद पंचायत ग्यारसपुर द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय हेतु स्कार्पियो ए.सी. एम. पी. 40 बी. 1424 राशि रूपये 21000/– (रूपये इक्कीस हजार मात्र) प्रतिमाह पर प्रायवेट रजिस्ट्रेशन अंतर्गत वाहन मालिक श्री अशोक चौरसिया से किराये पर लिया गया है।

6. जनपद पंचायत सिरोंज एवं लटेरी द्वारा कोई वाहन किराये पर नही लिया गया है।

उपरोक्त जनपद पंचायतों में जो वाहन किराये पर लगे हुये वह जनपद अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/सदस्यगण एवं उनके रिश्तेदारों के नही है।

जिला रायसेन अंतर्गत जनपद पंचायतों में कोई वाहन किराये पर नही लिया गया है।

संयुक्त संचालक (प्रशा.)
वास्ते आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय,म.प्र.

परिशिष्ट–स

प्रश्नांश ग के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :–

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के परिपत्र क्रमांक एफ–11/2016/2012/नियम/चार, दिनांक 06 अक्टूबर 2012 (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर लिये जाने संबंधी मार्ग दर्शी सिद्धान्त/निर्देश प्रसारित किये गये है, जिसकी कंडिका 1 एवं 2 निम्नवत है :–

1. वाहन किराये पर लेने की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा की जा सकेगी।
2. वाहन किराये पर लेने हेतु मासिक दरे नियमानुसार, सेवाकर (Service Tax) हेतु पंजीकृत फर्मो/संस्थाओं से , निविदा आमंत्रित कर निर्धारित की जानी चाहिये। सेवाकर हेतु पंजीकरण न होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित संस्था/फर्म द्वारा टैक्सी सेवाओं का दिया जाना, प्रचलित नियमों में अनुमत्य है। किराये पर लिये जाने वाले वाहनों हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर निविदा के माध्यम से ऑफर्स प्राप्त किये जाने चाहिये।

जिला विदिशा अंतर्गत जनपद पंचायत कार्यालयों में कार्यालयीन /शासकीय कार्य के उपयोग हेतु वाहन किराये पर लिये गये है, वह जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा सदस्यगण उनके रिश्तेदारों की गाडियॉ नही है। इस संबंध में अधिकारियों पर कोई कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता।

संयुक्त संचालक (प्रशा.)
वास्ते आयुक्त
पंचायत राज संचालनालय,म.प्र.